संख्याः 41/xxvii(7)सी0भर्ती0/2009

प्रेषकः

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0—सा0नि0)अनु0—7 देहरादूनःदिनॉकः13फरवरी,2009

विषयः—दिनांक 1—1—2006 अथवा इसके पश्चात नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के विभिन्न वेतन बैण्डों में वेतन निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान का दिनांक 1—1—2006 से पुनरीक्षण किया गया है। उक्त शासनादेश के संलग्नक—2 में उल्लिखित फिटमेन्ट टेबिल में उक्त तिथि के पूर्व से कार्यरत कार्मिकों के लिए वेतन निर्धारण की व्यवस्था तो की गई है लेकिन दिनांक1—1—2006 अथवा इसके बाद सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों के वेतन बैण्डों में वेतन निर्धारण की कोई प्रकिया निर्धारित नहीं की गई है। विभिन्न सेवा संघों के द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने के अनुरोध के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 1—1—2006 अथवा इसके बाद सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों के लिये निम्नवत वेतन बैण्डों में ग्रेड वेतन के आधार पर वेतन का निर्धारण किया जाये:—

वेतन बैंड—1(रू0 5200—20200)

| ग्रेड वेतन | वेतन बैंड में वेतन | कुल |
|---|---|---|
| 1,800 | 5,200 | 7,000 |
| 1,900 | 5,830 | 7,730 |
| 2,000 | 6,460 | 8,460 |
| 2,400 | 7,510 | 9,910 |
| 2,800 | 8,560 | 11,360 |

Scanned by CamScanner

वेतन बैंड–2(रू09300–34800)

| ग्रेड वेतन | वेतन बैंड में वेतन | कुल |
|---|---|---|
| 4,200 | 9,300 | 13,500 |
| 4,600 | 12,540 | 17,140 |
| 4,800 | 13,350 | 18,150 |

वेतन बैंड–3(रू015600–39100)

| ग्रेड वेतन | वेतन बैंड में वेतन | कुल |
|---|---|---|
| 5,400 | 15,600 | 21,000 |
| 6,600 | 18,750 | 25,350 |
| 7,600 | 21,900 | 29,500 |

वेतन बैंड–4(रू0 37400–67000)

| ग्रेड वेतन | वेतन बैंड में वेतन | कुल |
|---|---|---|
| 8,700 | 37,400 | 46,100 |
| 8,900 | 40,200 | 49,100 |
| 10,000 | 43,000 | 53,000 |
| 12,000 | 47,100 | 59,100 |

2–ऐसे प्रकरणों में, जहॉ पूर्व संशोधित वेतनमानों में परिलब्धियॉ (अर्थात सेवा में आने की तारीख को लागू पूर्व संशोधित वेतनमान(वेतनमानों)में मूल वेतन जमा मंहगाई भता) संशोधित वेतन सरंचना में निर्धारित वेतन तथा उस पर स्वीकार्य मंहगाई भत्ते के योग से अधिक हो तो उस अन्तर को वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में व्यक्तिगत वेतन के रूप में समाहित करने की अनुमति होगी ।

3–अतः उक्त श्रेणी के सीधी भर्ती के कार्मिकों के लिए उपरोक्तानुसार वेतन निर्धारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस श्रेणी के कार्मिकों के लिए भी विकल्प की तिथि शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से तीन माह तक अंतिम बार बढ़ाई जा रही है। उक्त तिथि के बाद विकल्प की तिथि अग्रेतर नहीं बढाई जाएगी।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

Scanned by CamScanner